



कार्यालय मुख्य आयुक्त
Office of the Chief Commissioner
सीजीएसटी एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (जयपुर परिक्षेत्र), जयपुर
CGST & Central Excise (Jaipur Zone), Jaipur
(कैडर कन्ट्रोल यूनिट)

स्थापना आदेश संख्या : सी.सी.यू.- CCU - 68/2026

कर्मचारी चयन आयोग, संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा, 2025 के माध्यम से केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT), राजस्थान में कार्यालय अधीक्षक के पद पर चयन के परिणामस्वरूप, श्री प्रवीण प्रताप सिंह चौहान, हवलदार (समूह 'सी'), सीजीएसटी आयुक्तालय, अलवर द्वारा दिनांक 24.09.2026 को दिया गया **तकनीकी त्यागपत्र** को दिनांक 30.09.2026 से स्वीकार किया जाता है।

Consequent upon selection to the post of Office Superintendent in Central Board of Direct Tax (CBDT), Rajasthan through SSC CGL Examination-2025, the **Technical Resignation** dated 24.09.2026 tendered by Shri Praveen Pratap Singh Chauhan, Havaldar (Group 'C'), CGST Commissionerate, Alwar is hereby accepted **w.e.f. 30.09.2026**.

चूंकि अधिकारी इस विभाग में हवलदार के पद पर स्थायी नहीं हुए हैं, इसलिए हवलदार ग्रेड में विभाग में उनका कोई ग्रहणाधिकार नहीं रहेगा।

As the officer has not been confirmed in this department on the post of Havaldar, therefore, he will not retain any lien in the department in grade of Havaldar.

यह आदेश नियुक्ति प्राधिकारी की संस्वीकृति से जारी किया जा रहा है।

This order issues with the approval of the Appointing Authority.

Digitally signed by
Ajay Gupta
Date: 29-09-2026
14:20:55

(अजय गुप्ता)
सहायक आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है-

1. निजी प्रति- श्री प्रवीण प्रताप सिंह चौहान, हवलदार, सी.जी.एस.टी. एवं के. उ. शु. आयुक्तालय, अलवर।
2. अपर / संयुक्त आयुक्त (का. एवं सत.), सी.जी.एस.टी. एवं के. उ. शु. आयुक्तालय, अलवर को उनके कार्यालय के पत्र सं. F. No. II/(12)/15/2021-ACCTS-O/o COMM-R-CGST-ALWAR I/4917878/2026 दिनांक 25.09.2026 के संदर्भ में प्रेषित कर लेख है कि श्री प्रवीण प्रताप सिंह चौहान, हवलदार को कार्यभार

मुक्त करने से पूर्व यह सुनिश्चित करें कि उनके विरुद्ध कोई सरकारी / विभागीय देयता एवं सतर्कता / असतर्कता सम्बन्धी प्रकरण इत्यादि लम्बित नहीं है। तत्पश्चात श्री प्रवीण प्रताप सिंह चौहान, हवलदार को कार्यभार मुक्त कर इस कार्यालय को कार्यभारमुक्ति आदेश की प्रति प्रेषित करें।

3. प्रधान आयुक्त/ आयुक्त, सी.जी.एस.टी. एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, जयपुर/अलवर /उदयपुर/जोधपुर/ अंकेक्षण जयपुर /अंकेक्षण जोधपुर/ अपील, जयपुर/अपील, जोधपुर/सीमा शुल्क आयुक्तालय, मुख्या.-जयपुर।
4. वेतन एवं लेखाधिकारी, अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क, जयपुर।
5. अधीक्षक (प्रशा./सत.), मुख्य आयुक्त कार्यालय, सी.जी.एस.टी. एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क जोन, जयपुर।
6. वेबमास्टर, सी.जी.एस.टी. एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, जयपुर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. गार्ड फाईल/ निजी पत्रावली/ सेवा पुस्तिका/ संबंधित एसोसियेशन/ सूचना पट्ट।